

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 24.8.16

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत टोरी से शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-758 दिनांक 26.07.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई हेतु निम्नांकित प्रतिवेदन/अभिलेख की आवश्यकता है:-

- (क) प्रस्तावित वनभूमि के संदर्भ में FRA, 2006 के अंतर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र तथा इसके क्रम में की गई बैठकों की कार्यवाही।
- (ख) लातेहार वन प्रमण्डल से संबंधित प्रस्ताव में Land Schedule पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।
- (ग) जंगल-झाड़ भूमि के संबंध में उपायुक्त, लातेहार का अनापति प्रमाण-पत्र।
- (घ) प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची।
- (ङ.) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य।
- (च) चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल हेतु संबंधित Part-III A.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-19/2016-4021/व0प0, राँची, दिनांक- 24.8.16

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप मुख्य अभियंता/Con/III, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।